क्या आपको पेन्शन मिल रही है और आप काम कर रहे/हीं है?

We speak your language ☎ 13 1202

Are you receiving a pension and working? - **Hindi**

यह हिसाब लगाने के लिए की हम आपको कितनी पेन्शन दे सकते हैं, जब आपकी परिस्थिति बदलती है तो हमें उसके बारे में जानना आवश्यक है।

याद रखें किः

- जब आप या आपका जीवन-साथी काम आरम्भ या समाप्त करें तो हमें बताएँ
- आप अपनी **कुल** कमाई हमें बताएँ। यह राशि कर व अन्य कटौती देने से पहले की होती है
- जब आपके काम के घन्टे बदलें तो हमें बताएँ
- जब आपकी कमाई ज्यादा होती है उसके 14 दिन के अन्दर हमें बताएँ
- जब आपकी कमाई कम हो जाती है तो एकदम बताएँ। आप अतिरिक्त पेन्शन पाने के योग्य हो सकते/ती हैं
- अपने नियोक्ता से अपने वेतन की प्रति घन्टे की दर जिसमें असुविधा भत्ता व अतिरिक्त घन्टे काम करने की दर व कोई अन्य भत्ता शामिल हो, उसके बारे में पूछें
- अपनी वेतन-पर्ची हमें दें, **तथा**
- यदि आपके या आपके जीवन-साथी के एक से अधिक नियोक्ता हैं तो हमें प्रत्येक नियोक्ता से मिलने वाली आय के बारे में बताएँ

यदि आप या आपका जीवन-साथी, आवश्यकतानुसार इस बदली हुई स्थिति के बारे में हमें नहीं बताते/ती हैं तो इसका परिणाम यह हो सकता हैः

- आपका भत्ता बन्द या विलम्बित हो सकता है, **तथा/अथवा**
- अधिक किया गया भुगतान आपको वापिस लौटाना पड़ सकता है, **तथा/अथवा**
- कुछ केसों में अतिरिक्त वसूली फ़ीस लग सकती है।

Centrelink से हिन्दी में बात करने के लिए **13 1202*** पर फ़ोन करें।
आपकी भाषा में जानकारी वेब साइट **www.centrelink.gov.au** पर भी मिल सकती है।

** "13" नम्बर पर सामान्य टेलिफ़ोन सेवा से किया गया फ़ोन आस्ट्रेलिया में कहीं से भी किया जा सकता है जिसकी कीमत एक स्थानीय फ़ोन की कीमत से अधिक नहीं होती (एक फ़ोन करने की कीमत विभिन्न भी हो सकती है – यह इस पर निर्भर करता है कि टेलिफ़ोन सेवा प्रदानकर्त्ता कौन है)। "1800" नम्बर पर किया गया फ़ोन निःशुल्क होता है। सार्वजनिक या मोबाईल फ़ोन से किए गए फ़ोन पर अधिक दर लग सकती है।*

Australian Government

Centrelink
giving you options